Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी ....मुकाम ....बयाना..............................

पंकज आदि ....बनाम ....रामश्री वगैराह ....

किस्म मुकदमा ...प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट ....नं. 287/24 सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
22.11.2024	प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें का निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 81 रकवा 0.24 हैक्ट, 96 रकवा 0.05 हैक्ट.वाके ग्राम नगला किशनवल्लभ तहसील बयाना स्थित है, में खसरा नम्बर 96 रकवा 0.05 तरफ उत्तर में होकर आने–जाने व हल ट्रेक्टर आदि ले जाने के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। तरफ उत्तर में रास्ता को बन्द नहीं करें। मौके की यथास्थिति बनाये रखें। हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी 14.01.2025 तक इस आशय की जारी की जाती है कि प्रार्थना पत्र कें वर्णित आराजी 96 रकवा 0.05 हैक्ट. वाके ग्राम नगला किशनवल्लभ तहसील बयाना में प्रार्थीगण के आने जाने हल–ट्रेक्टर आदि ले जाने में कोई व्यवधान पैदा नहीं करें। मौके की यथास्थिति बनाये रखें। **नोट– यह स्थगन आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा का कोई समर्पण कराना चाहता है तो स्थगन का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य बंद नहीं करवाया जावे। उक्त खसरा नम्बर पर जारी स्थगन आदेश सटे हुए खसरा नम्बरान की पैमाईश बाबत निष्प्रभावी रहेगें।** पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/रजिस्टर्ड डाक द्वारा तलबी हेतु तलबाना पेश हो अन्यथा आगामी तारीख पेशी को अस्थायी निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी समझी जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 14.01.2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी (भरतपुर) राज	

[illegible] — पत्रावली पेश। उभय पक्ष अनुपस्थित। [illegible] अनु. [illegible] पत्रावली [illegible] 12/3/25 को पेश हो।

12/3/25 — पत्रावली पेश। उभय पक्ष प्रार्थना पत्र [illegible] [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] दि. 16/4/25 को पेश हो।

16/4/25 — पत्रावली पेश। उभय पक्ष प्रार्थना पत्र [illegible] दिनांक 30/4/25 को पेश हो।

30/4/25 — पत्रावली पेश। उभय पक्ष [illegible] दि. [illegible]/5/25 को पेश हो।

9/5/25 — पत्रावली पेश। उभय पक्ष प्रार्थीगण का [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] पेश किया गया था। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार होने पर [illegible] प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] को देखा कि यह प्रार्थना पत्र [illegible] किया जाता है। पत्रावली [illegible] नत्थी [illegible] बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)